छत्तीसगढ़ शासन
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
मंत्रालय के पास (रेणुका द्वार), शास्त्री चौक,
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492 001
दूरभाष (0771)–4066351, 4066352, फैक्स–4066315, ई–मेल sipb.cg@nic.in

क्रमांक / 38 / एसआईपीबी / 2008 / 1148 रायपुर, दिनांक : 22 / 11 / 2008
प्रति,

प्रबंध संचालक,
मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड,
6, द्वारका सदन, प्रेस काम्प्लेक्स,
एम.पी.नगर, जोन–1,
भोपाल (मध्यप्रदेश) – 462001

विषय :– 1100 (±20%) मेगावाट पावर प्लांट के लिए अधोसंरचनात्मक आवश्यकताओं की उपलब्धता ।
संदर्भ :– आपका पत्र दिनांक 21.11.2008 ।

कृपया आपके संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पूर्व में आपके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 600 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए ऊर्जा विभाग / सीएसईबी के साथ दिनांक 10.01.2007 को एमओयू निष्पादित किया गया था, जिसके अधोसंरचनात्मक आवश्यकताओं की उपलब्धि बाबत सहमति पत्र इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17.07.2007 को पत्र जारी किया गया था । उपरोक्त एमओयू को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 07.01.2008 को संशोधित कर 1100 (±20%) मेगावाट किया गया है ।

थर्मल पावर प्लांट परियोजना की अधोसंरचनात्मक आवश्यकताओं के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आपकी परियोजना के संबंध में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार सैद्धांतिक सहमति (In-Principle Approval) प्रदान की गई है –

1. भूमि आबंटन –

जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बड़े दरहा एवं टुण्डरी आदि के समीप चयनित 1250 एकड़ भूमि को सहमति प्रदान की गई है ।

2. जल आबंटन –

संयंत्र हेतु जल की आवश्यकता 35 एमसीएम वार्षिक आंकलित कर महानदी से जल आबंटन हेतु सहमति प्रदान की गई है ।

(पि. रमेष कुमार)
सचिव सह संयोजक

MD\sipb2\Letters\November-2008\ (11)